...उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
...-पत्र नम्बर 127/2016
...पिरथी सिह बनाम राजीव सेतीया वगैरा
...- पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) आरटीए

...पुत्र लालूराम जाति नायक साकीन सुरेषिया तह व जिला हनुमानगढ़

प्रार्थी

बनाम

राजीव सेतिया पुत्र श्री मदन लाल जाति अरोड़ा निवासी हनुमानगढ़ बॉम्बे हॉस्पीटल तह व जिला हनुमानगढ़

2. रामनाथ पुत्र बद्रीदास जाति भाटीया निवासी मकान नं. 121 सैक्टर नं. 6 हनुमानगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़

3. मुखत्यार कौर पुत्री चडत सिंह पत्नी मक्खन सिंह जाति कुम्हार निवासी लीलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमागनढ़

4. तहसील राजस्व संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़

अप्रार्थीगण

—:आदेश:—

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर.टी.एक्ट के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है ...प्रार्थी पिरथी पुत्र लालूराम जाति नायक निवासी सुरेषिया की खातेदारी कृषि भूमि वाके ...तहसील संगरिया के चक न. 16 एमकेएस के जमाबंदी सं. 2070–73 में एकल खाता पिरथी में ...खाता सं. 94/87 में कृषि भूमि है। जिसकी जमाबंदी व नक्षा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत है। ...यह कि अप्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि वाके चक नं. 18 एमकेएस के जमाबंदी सं. 2071–74 के सांझा खाते रामनाथ वगैरा में खाता सं. 89/74 के प.नं. 159/228 मु.नं. 7 के किला नं. 22 ता 25 व इसी चक के खाता सं. 77/82 में प.नं. 159/228 मु.नं. 7 कि.नं. 21 है। उक्त पांचो किले अप्रार्थीगण के कब्जाकाष्त में है। यह है कि प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि चक नं. 16 एमकेएस में आने जाने के लिए कोई स्वीकृत शुदा रास्ता नहीं है। उक्त कृषि भूमि में आने जाने हेतु स्वीकृत रास्ता नहीं होने के कारण प्रार्थी को भारी असुविधा होती है। इसलिए प्रार्थी ने अप्रार्थी सं. 2 के साथ दिनांक 18.06.2014 को घरू तौर पर जरिए दस्तावेज तवादलानामा द्वारा अप्रार्थी सं. 2 जो मौका पर चक नं. 18 एमकेएस के खाता सं. 89/74 के प.नंत्र 159/228 के मु.नं. 7 कि.नं. 21 ता 25 में उत्तरी दिषा एक एक बिस्वा यानी कुल 5 बिस्वा रास्ता दिया था तथा बदले में प्रार्थी ने अपनी कृषि भूमि चक नं. 16 एमकेएस के खाता सं. 94/87 के प.नं. 160/228 मु.नं. 53 के किला नं. 21 में से 5 बिस्वा जो कि अप्रार्थी सं. 2 के किला नं. 25 के साथ के चिपता हुआ है, दी थी। उक्त दस्तावेज के निषादन कि दिनांक 18.06.2014 प्रार्थी अपनी कृषि भूमि चक नं. 16 एमकेएस के प.नं. 159/228 के मु.नं. 7 के किला नं. 21 ता 25 मे उतरी दिषा में आता जाता है। मौका पर रास्ता आम चालू है। अब अप्रार्थी सं. 2 ने अपनी उक्त कृषि भूमि में 1.518 कृषि भूमि अप्रार्थी सं. 1 अमर सेतिया को व अप्रार्थी सं. 3 मुखत्यार कौर को बेचान कर दी है। तथा अप्रार्थी सं. 1 व 3 ने मौखिक रूप से

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Scanned with OKEN Scanner

...ता हेतु स्वीकृति दी थी। अप्रार्थी सं. 1 उक्त चालू रास्ता आम बंद करने पर आमदा ...कि दिनांक 18.06.2014 को जरिए दस्तावेज तबादलानामा प्रार्थी को 5 बिस्वा रास्ता ...बदले में 5 बिस्वा कृषि भूमि अप्रार्थीगण दी जा चुकी है। इसलिए चालू रास्ता आम को ...रने का कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिए ...वेज तबादलानामा दिनांक 18.06.2014 के आधार पर चक नं. 18 एमकेएस के खाता सं. ...74 के प.नं. 159/228 के मु.नं. 7 के किला नं. 21 ता 25 में उत्तर दिशा में एक एक रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है। जो भी मौका पर चल आ रहा है। अगर प्रार्थी का ...रास्ता स्वीकृत नहीं किया गया तो प्रार्थी फसल काश्त करने के लिए अपने खेत में नहीं ...सकेगा। प्रार्थी के खेत में आने जाने के लिए एक मात्र नजदीक यही रास्ता है। उक्त ...प्रार्थी के कब्जा काश्त की कृषि भूमि से मुख्य रास्ता मात्र 5 बीघा दूरी पर है तथा ...तावेज तबादला की चित्र प्रति संलग्न प्रार्थना पत्र है। यह है कि प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि ...क नं. 16 एमकेएस में आने जाने के लिए चक नं. 18 एमकेएस के प.नं. 159/228 मु.नं. 7 ...किला नं. 21 ता 25 में अगर दस्तावेज तबादलानामा के आधार पर रास्ता स्वीकृत नहीं ...या गया तो प्रार्थी को अपूर्णिय क्षति होगी जिसका धन के रूप में आंकलन नहीं किया जा ...कता है। यह है कि पिछले सप्ताह प्रार्थी ने अप्रार्थीगण से निवेदन किया कि मुझे मेरे कब्जा ...श्त की कृषि भूमि में आने जाने के लिए चक नं. 18 एमकेएस के प.नं. 159/228 मु.नं. 7 ...के किला नं. 21 ता 25 क उतर दिशा में एक एक बिस्वा जो कि मौका पर चल रहे रास्ता ...स्वीकृत करवा दे तथा मौका पर चल रहे रास्ते को बंद मत करो तो अप्रार्थीगण मौका पर ...टाल मटोल करते रहे किंतु कल दिनांक 14.09.2016 को रास्ता स्वीकृत करवाने से इनकार ...कर दिया बस यही प्रार्थना पत्र का कारण है। यह है कि प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है जो उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है।

लिहाजा प्रार्थना पत्र अ.धा. 251 ए आर टी ए के तहत पेश कर अर्ज है कि प्रार्थी को दस्तावेज तबादलानामा दिनांक 18.06.2014 के आधार पर अप्रार्थीगण के कब्जा काश्त की कृषि भूमि चक नं. 89/74 के प.नं. 159/228 के मु.नं. 7 के कि.नं. 21 ता 25 की उतरी दिशा में अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिए एक एक बिस्वा रास्ता स्वीकृत करने के आदेश फरमावें।

प्रार्थना–पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 बावजूद सूचना उपस्थित नही आये। इस कार्यालय द्वारा तहसीलदार संगरिया से उक्त रास्ता के प्रकरण को सही रूप से निस्तारण करने एवं मौका की जांच रिपोर्ट चाही जाने पर उन्होने अपने पत्र क्रमांक 1439 दिनांक 28.12.2016 द्वारा चक नं. 18 एमकेएस के प.नं. 159/228 मु.नं. 7 के किला नम्बर 21 ता 25 की उतरी दिशा में एक–एक बिस्वा रास्ता चाहा है। प्रार्थी को रास्ते की आवश्यकता है। रास्ते में किसी भी प्रकार का कोई पेड़/अवरोधक नही होना बतलाते हुए रास्ता मन्जूर किये जाने की अनुशंषा की गई है।

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Scanned with OKEN Scanner

पत्रावली में तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया, मुताबिक रिपोर्ट की अत्यातिंक आवश्यकता है, रास्ता की मांग सुविधा के लिये नही की जा रही है आवश्यकता होने पर स्वीकृत करवाना चाहता है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार प्रार्थना–पत्र प्रार्थी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा ए के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु "रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता" एवं वैकल्पिक का अभाव पर विचारण किया गया। रिपोर्ट तहसीलदार से स्पष्टतया प्रकट होता है कि की कृषि भूमि चक 16 एमकेएस में काश्त करने बाबत जाने हेतु मन्जूर शुद्वा रास्ते का ा होने से रास्ते की आत्यंतिक आवश्कता है। अतः यह रास्ता सुविधा के लिए नहीं अपितु तिक आवश्यकता के लिए है। अतः न्यायहित में प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए टिए में अप्रार्थीगण के रकबा में से चक नं. 18 एमकेएस के पं.नं. 159/228 मु.नं. 7 के ा नम्बर 21 ता 25 की दक्षिण दिशा में पत्थर लाईन से चिपता एक–एक बिस्वा रास्ता कृत किया जाता है और इसके बदले में प्रार्थी का उक्तानुसार रकबा चक 16 एमकेएस प. 160/228 मु.न. 53 किला नं. 21 से कम कर अप्रार्थीगण के चिपता अप्रार्थीगण के हिस्सा ुसार उनके नाम दर्ज किये जाने के आदेश जाते है। अप्रार्थीगण को उक्त रकबा का तानुसार कब्जा दिलवाया जाकर भू.अ.निरीक्षक/हल्का पटवारी की उपस्थिति में रास्ता चालू खाया जाना सुनिश्चित करे। तहसीलदार संगरिया को इस बाबत पालनार्थ लिखा जावें। ावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफतर की जावें।

आदेश आज दिनांक 25.7.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास ुनाया गया।

(जय कौशिक)
उपखण्ड अधिकारी,
संगरिया

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Scanned with OKEN Scanner